(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI - 110054.

Dated: 05.01.2015

NOTIFICATION

No. F. 8(36)/2010/DAM/MR/ 57 . - The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by section 28 of the Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.-7 of 1999), is pleased to nominate the Director, Directorate of Agricultural Marketing, Govt. of National Capital Territory of Delhi, Member of the Agricultural Produce Marketing Committee, Market of National Importance, Azadpur, Delhi, as Chairman of the said Marketing Committee.

> By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI No. F. 8 (36)/2010/DAM/MR/ 58 - 70

Dated: 05.01.2015

Copy to:-

The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi 1. 2.

The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad 3.

The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi

The Secretary (Development), Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi

5. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.

- The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board. 7.
- The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
- Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi, Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi and Flower Marketing Committee, Gazipur, Delhi.

The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi

- The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
- 11. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT
- All the Members of the concerned Marketing Committee through 12. Secretary of the concerned Marketing Committee. 13. Guard file.

(V. P. RAO

SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय ४९ शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

दिनांक: 05. 01. 2015

अधिसूचना

सं. एफ 8 (36)/2010/डी०ए०एम०/एमं०आर०/57 — दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 28 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सदस्य कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर को सहर्ष तुरंत प्रभाव से इसका अध्यक्ष मनोनीत करते हैं।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,

(वी. पी. राव

विशेष सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सं. एफ ८ (३६)/२०१०/डी०ए०एम०/एम०आर०/58-7०

दिनांक : 05.01.2015

प्रतिलिपि:-

- सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 4 सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- इं स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- उप—सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विमाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग—4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).
- कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली, मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, एवम पुष्प विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली।
- 9 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 10 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 11 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 12 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।

13 गार्ड फाईल।

(वी. पी. राव)

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार